9-11-17

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत ।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलान्ट ने अदालत मातहत मे दावा घोषणात्मक एवं रेकार्ड दुरूस्ती का पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 125§1800/310§ रकबा 0.95 हैक्टर जिसके पुराने खसरा न0 175 है । उक्त आराजी ग्राम बडवाली में स्थित है । यह आराजी लिछमण व प्रतिवादी सं0- 2व 3 के पिता छाजूराम व प्रतिवादी सं0-4 से 8 के पिता सुखदेवाराम की पैत्रिक सम्पत्ति थी जिसमें लिछमण, छाजूराम व सुखदेवा तीनो का बराबर बराबर का हिस्सा था ।जिसमें से लिछमण ने अपना 1/3 हिस्सा दिनांक 24-6-1986 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादी को कर दिया । तथा कब्जा सम्भला दिया । छाजूराम, लिछमण एवं सुखदेवा तीनों भाई थे जिनका देहान्त हो गया । जिससे उक्त आराजी में 1/3 हिस्सा वादी का , 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0-2 व 3 तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0-4 से 8 के है । वादी एवं प्रतिवादी सं0-2 से 8 ने अपनी उक्त आराजी का आपस में मौके पर बंटवारा कर रखा है । वादी अपनी भूमि में सुधार कार्य कर रहा था तब प्रतिवादी सं0-1 आया और उसने धमकी दी की यह आराजी मेरी है इसें अब मैं काश्त करूंगा । जिस पर वादी ने यह दावा किया । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादी का दावा खारिज कर दिया । जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रदर्श-1 जमाबन्दी सम्वत

दिनांक	आज्ञा पत्र	
[illegible] 9-11-17	रकबा 3.14 हैक्टर की खातेदारी सूरजा वल्द नानग के नाम दर्ज है ।प्रदर्श-2जमाबन्दी सं0-2030 से 2033 में ख0नं0 113,175 कुल किता-2 रकबा 28 बीघा 7 बिस्वा की खातेदारी लिछमण, छाजू, सुखदेवा पिता अर्जुन हि0 ब0 के नाम दर्ज है ।प्रदर्श-3 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक ख0नं0 1800/310 के नये ख0नं0 125 रकबा 0.95 हैक्टर दर्ज है ।प्रदर्श-4 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार पुराने ख0नं0 175 के नये खसरा नं0 1800/310 रकबा 0.95 हैक्टर बने हैं । प्रदर्श-5 विकृय पत्र दिनांक 24-6-86 के द्वारा लिछमण पुत्र अर्जुन ने ख0नं0 113,175 में 1/3 हिस्सा हणमान पुत्र झाबरराम को किया गया है ।विकृय पत्र में नये खसरा नं0 308 रकबा 3.00 हैक्टर, ख0नं0 309 रकबा 0.04 हैक्टर, ख0नं0 310 रकबा 0.70 हैक्टर, ख0नं0 311 रकबा 0.81 हैक्टर, ख0नं0 1807/285 रकबा 1.33 हैक्टर में 1/3 हिस्सा का बैचान किया गया । पत्रावली के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि लक्षमण ने अपना 1/3 हिस्सा का बैचान किया है किन्तु प्रदर्श-2 में ख0नं0 113 व 175 में ही 1/3 हिस्सा है । जिसमें मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत ख0नं0 175 के नये ख0नं0 1800/310 रकबा 0.95 हैक्टर एवं एवं 1800/310 के नये ख0नं0 125 रकबा 0.95 हैक्टर बने है ।विकृय पत्र में बैचान ख0नं0 308, 309, 310, 311 व 1807/285 में से 1/3 हिस्सा बैचान किया जाना दर्ज किया है ।अदालत मातहत ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि वादी/अपीलान्ट ने इन खसरा नम्बरों का कोई रेकार्ड पेश नहीं किया। अदालत मातहत ने सम्पूर्ण रेकार्ड पेश नहीं करने के कारण वादी/अपीलाट का दावा खारिज किया गया है । अपीलान्ट ने इस न्यायालय में भी ख0नं0 308 से 88 311 व 1807/285	

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	करने का न्यायहित में अवसर दिया जाना उचित मानते हैं । अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी नवलगढ का निर्णय एवं डिक्री दि0 3-9-2007 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण में अपीलान्ट को साक्ष्य सबुत पेश करने का अवसर देते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें ।पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 28-12-2017 को उपस्थित होवें । निर्णय सुनाया गया । (भंवरलाल सहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर ।	